

#586



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल सिंहपुर)
धारा अर्न्तगत - 136 तैण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 722 / 2025 दायर दिनांक 11 / 10 / 2025 निर्णय दिनांक 11.10.2025

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

क.स.	नाम ग्राम	खंला नम्बर	रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	राजपुरा	103	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बडौदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>1. नारायणलाल पिता हीरा हिस्सा 1/4 जाति गाडरी सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/4 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p> <p>2. रतनलाल पिता हीरा हिस्सा 1/4 जाति गाडरी सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/4 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p> <p>3. शंकरीबाई पति रतनलाल हिस्सा 1/2 जाति गाडरी सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p>	<p>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू. रा. अधि.1956 की धारा 136 के अन्वयधीन अनुसार राजस्व रिकार्ड में ग्राम राजपुरा पटवार हल्का केसरखेडी के खाता संख्या 103 में वर्तमान प्रविष्टी बडौदा राज0क्षे0 ग्रामीण बैंक कपासन को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
कपासन जिला चित्तौड़गढ़